छत्तीसगढ़ शासन,
कृषि (पशुपालन) विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन,
मंत्रालय

//अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर, 2008

कमांक एफ 8–100/35/प.प्र.नी./2008 : : राज्य के कृषकों को पशुधन विकास के माध्यम से आर्थिक उन्नति सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से, प्रस्तावित नीति पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 27 सितम्बर, 2008 में सुझाव एवं संशोधनों को शामिल करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ पशुधन विकास एवं प्रजनन नीति 2008" जारी करता है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विकासशील)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि (पशुपालन) विभाग

पृष्ठांकन कमांक एफ 8–100/35/प.प्र.नी./2008/862 रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर, 2008

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, महामहिम छ.ग. राज्यपाल, राजभवन, की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव/निज सहायक मान. मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिव, ...रायपुर।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
5. सचिव, ...विभाग, छ0ग0 शासन, राजस्व मंडल, बिलासपुर।
6. विभागाध्यक्ष, ...विभाग छत्तीसगढ़।
7. जिलाध्यक्ष, जिला.....छत्तीसगढ़।
8. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
9. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ बिलासपुर।
10. सचिव, ... आयोग, रायपुर।
11. उपनियंत्रक, क्षेत्रीय मुद्रणानालय, रायपुर, कृपया राजपत्र आगामी अंक में प्रकाशित करें।
12. संचालक, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि (पशुपालन) विभाग

hlx<

छत्तीसगढ़ पशुधन विकास एवं प्रजनन नीति

पशुपालन एवं डेयरी विभाग,

छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ पशुधन विकास एवं प्रजनन नीति

KEAMS

पशुपालन एवं डेयरी विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

वाचक हेतु :–
छत्तीसगढ़ पशुधन विकास एवं प्रजनन नीति का अनुमोदन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सितम्बर, 2008 में किया गया है। ज्यादा जानकारी हेतु नीचे लिखे पते पर सम्पर्क करें :–

संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवाएं, छत्तीसगढ़, गुरुतेग बहादुर उद्यान के सामने, जी. ई. रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492 001 दूरभाष :– 0771–2331393 दूरलेख :– 0771–2331391

मुद्रक :–
चरिता इम्प्रेशनस्, अजामाबाद हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश

शब्दावली

NPCBB	:	राष्ट्रीय गौ–भैंसवंशीय पशु प्रजनन परियोजना.
ASCAD	:	पशु बीमारियों की रोकथाम हेतु केन्द्र से राज्य को सहायता
JK	:	जे.के. ट्रस्ट
MIS	:	सूचना प्रबंधन प्रणाली
HID Cell	:	मानव संस्थागत विकास इकाई
NDDB	:	राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड
CSLDA	:	छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण.
DRDA	:	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
NGO	:	गैर सरकारी संस्था.
AHD	:	पशु पालन विभाग.
SHG	:	स्व सहायता समूह.
DFID	:	अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (यू.के.)
NABARD	:	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
WTO	:	विश्व व्यापार संगठन
KVK	:	कृषि विज्ञान केन्द्र
KGK	:	कृषि ज्ञान केन्द्र
ATMA	:	कृषि तकनीक एवं प्रबंधन अभिकरण
MANAGE	:	राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन एवं विस्तार संस्थान
VLW	:	ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता
AVFO	:	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी
CPR	:	सामुदायिक संपदा संसाधन
LN2	:	तरल नत्रजन
APC	:	कृषि उत्पादन आयुक्त
GOI	:	भारत सरकार
FMD	:	मुंह एवं पैरों की बीमारी (खुरा चपका रोग)
HS	:	हेमोरेजिक सेप्टीसीमिया (गलघोंटू रोग)
BQ	:	ब्लैक क्वार्टर (एक–टंगिया रोग)

छत्तीसगढ़ पशुधन विकास नीति

1. **संदर्भः**

भारतीय संविधान के नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन् 2000 को हुआ। राज्य शासन सामाजिक न्याय और समानता के आधार पर चंहुमुखी आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य की 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण[1] अंचलों में निवास करती है जिनकी आजीविका मुख्यतः कृषि एवं कृषि आधारित अन्य गतिविधियों पर निर्भर है। अतः राज्य की प्राथमिकता कृषि एवं ग्रामीण विकास है।

छत्तीसगढ़ राज्य ने वर्ष 2000–01 से 2004–05 की अल्प समय अवधि में अर्थव्यवस्था[2] में 8 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि प्राप्त करते हुए *(1993–94 मूल्यों के आधार पर)* लाखों गरीब परिवारों को लाभान्वित किया है। गरीबी रेखा के नीचे[3] रहने वाले परिवारों का प्रतिशत वर्ष 1999–2000 में 45 से तीव्र गति से कम होते हुये वर्ष 2004–05 में 41 रह गया है। राज्य की कुल जनसंख्या में 79 प्रतिशत ग्रामीण गरीब है।

कृषि (खाद्यान्न, पशुधन, मत्स्य, वानिकी और खनिज शामिल हैं) राज्य की ग्रामीण जनसंख्या की मुख्य आजीविका है। कृषि क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में एक तिहाई का योगदान करते हुए लगभग 70 प्रतिशत श्रमिको[4] को रोजगार देता है। वर्ष 2000–01 से 2004–05 के मध्य इस क्षेत्र में 6 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। राज्य के 35 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में कृषि की जाती है जो कि अधिकांशतः वर्षा आधारित है। धान इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है जो कि 70 प्रतिशत क्षेत्र में बोयी जाती है परंतु उत्पादन संतोषजनक नहीं है। लघु कृषक,(< 2 हेक्टेयर) जो कि कुल कृषको के 75 प्रतिशत[5] हैं, राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। राज्य में औसत जोत का आकार 1.4 हेक्टयर है जो कि निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण तीव्रता से कम हो रहा है एवं इसके और कम होने की आशंका है। इस परिस्थिति में मात्र कृषि से ग्रामीण आजीविका सुचारू रूप से चल पाना निश्चित ही संभव नहीं है।

ग्रामीण परिवेश में पशुपालन आय अर्जन एवं रोजगार का मुख्य साधन हो सकता है। कृषि उत्पादन की व्यापक अस्थिरता की स्थिति में पशुपालन संभावित क्षतिपूर्ति करने की क्षमता प्रदान करता है। पशुपालन ऐसी गतिविधि है जो निश्चित समय अवधि में निरंतर आय प्रदान करती है जो कि दैनिक उपभोग के लिए आवश्यक है। मुर्गी, बकरी, भेड एवं शूकर आदि के पालन में निम्न लाभ हैं– बहुप्रसवता की दर के कारण कम समय में अधिक पशुधन, कम भूमि का उपयोग, अल्प निवेश, रख रखाव में कम खर्च, इत्यादि। गरीबों के लिए संसाधन–प्रदत्ता के कारण यह स्थिति उपयुक्त है। गौ और भैंस पालन खाद प्राप्ति एवं कृषि कार्य करने हेतु उपयुक्त हैं जो कि कृषि उत्पादकता एवं पर्यावरण के लिए महत्तवपूर्ण हैं।

---

[1] भारत की जनगणना, 2001

[2] सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर और कृषि सकल घरेलू उत्पाद सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट (http://mospi.nic.in) पर उपलब्ध आंकडो पर आधारित है

[3] वर्ष 2004–2005 में गरीबी आंकलन / अनुमान, प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार, मार्च 2007, गरीबी का आंकलन एक समान समयावधि पर आधारित है

[4] क्षेत्र, उत्पादन पशुधन जनसंख्या और श्रमिक संबंधित जानकारी वेबसाइट (http://chhattisgarh.nic.in) से ली गई है

[5] भूमि एवं पशुधन स्वामित्व संबंधित जानकारी नेशनल सेंपल सर्वे संस्था (एन.एस.एस.ओ.) के प्रतिवेदन कमांक 492, सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार से ली गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन में संपन्न है। राज्य में वर्ष 2005–06 में 81.5 लाख गौवंश, 18.9 लाख भैस, 21.2 लाख बकरी, 2.1 लाख भेड, 5.1 लाख शूकर और 71.7 लाख मुर्गियां पाई गई। कृषि क्षेत्र के कुल उत्पाद (मूल्य) में पशुपालन का योगदान 23 प्रतिशत है। अधिकांशतः ग्रामीण परिवारों के पास पशुधन उपलब्ध है। परिवारों में पशुधन की उपलब्धता का वितरण, भूमि के वितरण के अपेक्षाकृत अधिक समानता रखता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पशुपालन की संभावनाऐं, कृषि की तुलना में अधिक हैं (बॉक्स 1), हालांकि पशुधन की उत्पादकता कम है।

राज्य में गाय और भैंस के दुग्ध की उत्पादकता, देश की औसत उत्पादकता से लगभग आधी[6] है। उत्पादकता में कमी के मुख्य कारण हैं– उन्नत तकनीकों का अभाव, चारे की अनुपलब्धता, और स्वास्थ्य–चिकित्सा सुविधाओं की कमी। राज्य में संकर प्रजाति की गाय मात्र 3 प्रतिशत हैं जबकि देश में यह औसत 22 प्रतिशत है। इसी प्रकार राज्य में 36000 पशुओं पर एक पशु चिकित्सक उपलब्ध है जबकि देश में यह औसत 8000 पशु प्रति पशु चिकित्सक से भी कम है।

तदापि उचित तकनीक तथा संस्थागत और नीतिगत सहयोग द्वारा पशुपालन क्षेत्र में विकास की अत्यधिक सभावनाएं हैं एवं पशुपालन गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। राज्य में वर्तमान तीव्र आर्थिक विकास के कारण उपभोक्ता का रूझान निरंतर खाद्य उत्पाद से पशु उत्पाद की ओर बढ़ रहा हैं। फलतः इस क्षेत्र की उत्पादकता एवं उत्पाद में वृद्धि की अनेक संभावनायें हैं।

बाक्स –1 : ''पशुधन द्वारा गरीबी उन्मूलन ''

निर्धन के लिये पशु पालन द्वारा आय बढ़ाने की असीम संभावनायें हैं। स्थिर एवं निश्चित आय तथा शहरी जनसंख्या में वृद्धि के कारण उच्च स्तरीय भोज्य पदार्थों जैसे– दूध, फल, सब्जियां, अण्डे, मांस एवं मछली की मांग बाजार में बढ़ी है। देश में सन् 1983 से 1999 के मध्य प्रति व्यक्ति दूध का उपयोग 70 प्रतिशत बढ़ा है, मांस का उपयोग 45 प्रतिशत बढ़ा है जबकि अनाज का उपभोग 12 प्रतिशत कम हुआ है। सन् 1999 में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति दूध एवं मांस का उपभोग राष्ट्रीय औसत का क्रमशः 22 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत[7] था, जिसका प्रमुख कारण स्थानीय स्तर पर इन उत्पादों की अनुपलब्धता थी। तथापि निरंतर बढ़ती हुई शहरी जनसंख्या एवं आय वृद्धि के कारण पशुधन विकास की संभावनायें भी प्रदेश में बढ़ती जा रही है।

लघु कृषकों की भागीदारी पशुपालन क्षेत्र में अधिक है, क्योंकि उनके पास 88 प्रतिशत कुक्कुट, 67 प्रतिशत शूकर एवं भेड–बकरी, 59 प्रतिशत गौवंश और 57 प्रतिशत भैंसे हैं। पशुधन उत्पादन की वृद्वि बाजार की मांग पर आधारित है। निर्धनों के लिए पशुपालन एक उपयुक्त अवसर है, जहां वे बाजार अर्थव्यवस्था का लाभ उठाकर अपनी आजीविका में वृद्धि कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ शासन ने गरीबी उन्मूलन एवं कृषि उत्पादकता में पशुपालन के महत्व को समझते हुए ''कालपी'' और ''कार्ड'' के सहयोग से विभिन्न अध्ययन करवाए। इन अध्ययनों का उद्देश्य पशुपालन क्षेत्र में समानता, स्थायित्व और क्षमता वर्धन के लिए नीतिगत सुझाव देते हुए विकास की संभावनाओं एवं क्रियान्वयन में अविरूद्धताओं का विश्लेषण करना है। इस पशुपालन नीति निर्माण के मुख्य आधार – संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन, नीति निर्धारकों के साथ सामूहिक बैठकें, पशुपालन क्षेत्र के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायियों के सुझाव, कृषक और समाज सेवी संस्थाओं के

[6] संकरण, पशु स्वास्थ्य सेवाऐं और उत्पादन की जानकारी सामान्य पशुपालन सांख्यिकीय, 2006, पशुपालन विभाग, दुग्ध एवं मत्स्य संघ, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से ली गई है

[7] एन.एस.एस.ओ. द्वारा उपलब्ध उपभोक्ता व्यय के आंकडे इलेक्ट्रानिक्स डाटाबेस से लिये गये है

अनुभव, जनसुनवाई, कृषकों के साथ पी.आ.ए. विजन निर्माण एवं विभिन्न कार्यशालाओं के निष्कर्ष हैं।

2. **पशुधन नीति के उद्देश्यः**

प्रस्तावित नीति में मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर पशुधन विकास की परिकल्पना की गयी है। इस नीति में निर्धन, ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के विकास के साथ पशुधन विकास को जोड़ा गया है ताकि एक स्थिर आर्थिक विकास की दर प्राप्त की जा सके। पशुधन नीति के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैंः–

2.1 **पशुधन विकास के लिये विपणन, सेवा पहुंच प्रणाली, उत्पाद प्रसंस्करण इत्यादि के विकास के साथ ऐसी प्रकिया का निर्माण किया जाये जो स्थायी हो तथा रोजगार उपलब्ध करवाए। सामान्य जन को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दे एवं कृषि उत्पाद विफलता की क्षति से उन्मुक्त करे।**

2.2 **ग्रामीण परिवारों के अविकसित वर्ग, विशेषकर साधनहीन एवं महिलाऐं, को पशुपालन द्वारा सशक्त करना, ताकि वे सामाजिक एवं आर्थिक विषमता से उन्मुक्त हों।**

2.3 **उपयुक्त तकनीक तथा संस्थागत एवं नीतिगत हस्तक्षेप (प्रबंधन) द्वारा पशुधन का आधुनिकीकरण इस प्रकार हो कि पर्यावरण पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े तथा जनभागीदारी के द्वारा स्वदेशी पशुधन एवं कुक्कुट का विकास एवं संरक्षण किया जा सके।**

2.4 **आधुनिकीकरण की प्रकिया सांस्कृतिक एवं धार्मिक लोकाचार के अनुरूप हो।**

2.5 **पशुधन का विकास वर्तमान में पशुधन की क्षमताओं एवं विकास की संभावनओं के आधार पर एवं कृषि जलवायु क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार ही किया जाये।**

3. **पशुधन नीति का स्वरूपः**

छत्तीसगढ़ राज्य में पशुधन उत्पादन अधिकतर लघु कृषकों एवं पशुपालन पर निर्भर परिवारों के प्रक्षेत्र में है एवं यह केवल जीविकामूलक आवश्यकताऐं ही पूर्ण करता है। प्रस्तावित नीति गरीबोन्मुख होने के साथ–साथ पशु उत्पादों की बढ़ती मांग व आवश्यकता की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्रों के विकास के प्रति भी कटिबद्ध है। इस नीति के माध्यम से शासकीय हस्तक्षेप के लिए निम्नांकित मुख्य क्षेत्रों को चिन्हित किया गया हैः–

3.1 **ग्रामीण एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रो के परिवारों के लिए पशुपालन को लाभकारी जीविकोपार्जन के साधन के रूप में विकसित किया जाए ताकि आय वृद्धि, संतुलित पोषण एवं रोजगार के अवसर सुनिश्चित हो सकें।**

छोटे कृषक/पशुपालक नई तकनीकों को ग्रहण करने में परिपूर्ण नहीं होते क्योंकि उनकी जीवन शैली कम से कम जोखिम के साथ जीवन–यापन पर आधारित है। पशु स्वास्थ्य, विस्तार, वित्त पोषण एवं विपणन सुविधा तक पहुंच जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करके इस स्थिति में सुधार लाना संभव है।

3.1.1 अतः कम पशुधारी, महिला एवं पुरूष वर्ग के कृषकों को छोटे समूहों में संयोजित एवं सशक्त कर बाजार से अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर गरीबी दूर करने के लिए निम्नांकित मुद्दों पर ध्यान देना होगाः–

- सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सीमान्त कृषक एवं अवस्थांतर लघुपशुधारियों हेतु आवश्यक सेवा पहुंच प्रणाली का पुनर्गठन
- पशुपालन क्षेत्र में व्यापक अनिश्चितता दूर करने के लिए जोखिम राहत के प्रयासों को प्राथमिकता
- निर्धन महिला एवं पुरूष किसानों को नई तकनीकों के विकल्प की सुविधा प्रदान कर, चयन एवं प्रशिक्षण द्वारा सफलता प्राप्त करते हुए नवीन तकनीको के अभिग्रहण में जोखिम को कम किया जाए।

3.1.2 ज़मीनी स्तर पर कार्यरत सामुदायिक समूहों जैसे कि स्व–सहायता समूह, सहकारी उत्पादक समितियॉ, प्रजनन समूह, ग्राम समितियॉ आदि को सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जाए। इन इकाईयों को तकनीकी ज्ञान, विस्तार सहयोग एवं कौशल उन्नयन द्वारा सुदृढ करते हुए लघुपशुधारियों और पशुपालन विभाग के बीच महत्तवपूर्ण कड़ी का स्वरूप दिया जा सकता है।

3.1.3 विशिष्ट अध्ययन एवं स्थितिगत विश्लेषण आधारित अनुभवों से उद्घृत होता है कि लघु कृषकों एवं पशुधारको की आर्थिक प्रगति के लिये नीतिगत वातावरण एवं क्रियाशील संस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा सुनिश्चित किया जाए कि पशुधारित किसान स्वप्रेरणा से शासन की सुविधाओं का स्व–प्रबंधन कर सकें।

3.2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं पुर्नगठित करते हुए पशु उत्पादकों की पशु स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढाई जाए एवं इसमें निजी क्षेत्रों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

पशुओं की रोगों से सुरक्षा हेतु उच्चतर पशु स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच जरूरी है। राज्य में पशु स्वास्थ्य सेवाएं आम लोागो के लिए उपलब्ध हैं लेकिन उनका पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा तथा वे अविकसित हैं, जिसके लिए अधोसंरचनाओं एवं निष्पादन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

3.2.1 सामान्य बीमारियों की क्षति क्षमता, पुनरावृत्ति की संभावना और गरीबों के लिए इसके महत्व के अनुसार प्राथमिकीकरण करते हुए रोग प्रबंधन कार्यक्रम चलाए जाऐं।

3.2.2 पशु स्वास्थ्य नीति में ज़ोखिम एवं हानि–लाभ को ध्यान में रखते हुए अल्प व्यय उपचार एवं बचाव के उपाय जैसे कि परंपरागत पशु चिकित्सा पद्धति को बढावा दिया जाए। संक्रामक रोगों एवं बाह्य एवं अंतः परजीवी नियंत्रण एवं निरोधक टीकाकरण पर जोर दिया जाए।

3.2.3 गौमूत्र चिकित्सा एवं उपलब्ध भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के आवश्यकतानुसार उपयोग पर शोध द्वारा वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जाए।

3.2.4 रोग नियंत्रण एवं उन्मूलन, पशु से मानव में संचरण होने वाले रोगों का नियंत्रण तथा खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली जैसी निरंतर चलने वाली सेवाओं को और अधिक सुदृढ किया जाए।

3.2.5 संक्रामक एवं पशु से मानव में संचरण होने वाले रोग जो कि अत्यधिक क्षतिवर्धक हैं, उनके लिए विशेष रोग मुक्त क्षेत्र विकसित किए जाऐं।

3.2.6 निर्धन कृषकों के द्वारा पोषित पशुधन के लिए रोग नियंत्रण के उपाय किये जायें।

3.2.7 रोग निरीक्षण, अनुश्रवण एवं सूचना तंत्र को प्रत्येक स्तर पर आरंभ एवं सुदृढ किया जाए।

3.2.8 निजी लाभ देने वाली गतिविधियों के लिए सार्वजनिक पशु स्वास्थ्य सेवाओं हेतु शुल्क लिये जाने की व्यवस्था हो, जिसका उपयोग चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता सुधार में किया जाये।

3.2.9 सार्वजनिक उपयोग की सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य सुविधाओं का निजीकरण किया जाये ताकि निजी पशु स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने हेतु उचित वातावरण का निर्माण हो।

3.2.10 पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गतिशीलता को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि ग्राम स्तर पर सेवाओं का प्रभावी निष्पादन एवं विस्तार हो ।

3.2.11 कम मूल्य के टीके, बहु रोग टीके एवं उच्च गुणवत्ता युक्त जीव–विज्ञान संबंधी दवाईयों के निर्माण के लिये शासन निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करे।

3.2.12 दवा निर्माता से ग्रामीण पशुपालक तक टीकों के व्यवस्थित वितरण के लिये एक प्रभावी 'शीत चेन'' (Cold Chain) का निर्माण हो।

3.2.13 प्रशिक्षित ग्रामीण निजी–पशु चिकित्सा कार्यकर्ताओं का एक वर्ग विकसित किया जाए जो पशु–धारकों को रोग नियंत्रण सेवा एवं प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि वे अंधविश्वास से हटकर रोग की पहचान, फैलने के कारण एवं रोग–निवारण के उपाय कर सकें।

3.2.14 पशु चिकित्सा सुविधाओं के प्रभावी निष्पादन के लिये आवश्यक वैधानिक एवं नियामक उपायों की उचित व्याख्या करते हुए 'भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम'' को प्रभावी ढंग से लागू किया जाये।

3.2.15 नये एवं संक्रामक रोगों के ज्ञात होते ही उन पर नियंत्रण के लिये एक आपात्कालीन अनुक्रिया तंत्र का गठन किया जाये।

3.2.16 शहरी क्षेत्र में निराश्रित पशुओं से उत्पन्न अवरोध कम करने हेतु नियंत्रण तंत्र लागू किया जाए।

3.2.17 पालतू पशुओं हेतु निजी पशु सेवाओं को बढावा दिया जाए।

3.3 **गुणवत्तायुक्त पशु प्रजनन सुविधाओं तक किसानों की पहुंच को प्रोत्साहित किया जाए। उपयुक्त प्रजनन नीति अनुसार पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि के लिए उचित प्रजनन प्रणाली लागू करना एवं ''कृषि–जलवायु क्षेत्र'' अनुसार उपलब्ध समस्त उत्पादन प्रणाली में विशिष्ट तकनीक तथा पारंपरिक एवं आधुनिक दृष्टिकोण का एकीकरण करते हुए योजना बनाई जाये ताकि अच्छी नस्ल के पशुओं का उत्पादन हो।**

राज्य द्वारा आय–प्रतिआय संरचना पर आधारित उपयुक्त आनुवांशिकी एवं प्रजनन योजना के कियान्वयन द्वारा गुणवत्तायुक्त पशु उत्पाद जैसे–दूध, मांस, अंडे, ऊन इत्यादि, एवं भार–वहन क्षमता की उत्पादकता में वृद्धि की जाए।

3.3.1 'राष्ट्रीय पशु नीति' का अनुसरण करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों की आवश्यकताओं, बाजार एवं कृषि जलवायु क्षेत्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये गौ एवं भैस वंश के अनुवांशिकी सुधार हेतु प्रजनन योजना बनाई जाए। इसमें सम्मिलित हो–

– चयन प्रक्रिया द्वारा अच्छी नस्ल के पशुओं का अनुवांशिकी सुधार हो।

– कम उत्पाद क्षमता वाले स्थानीय पशुओं की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये उच्च स्वदेशी नस्ल से उन्नयन या संकरण किया जाये।

3.3.2 राज्य में साहिवाल, गिर एवं रेड सिन्धी नस्ल के उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता के नर एवं मादा पशुओं का जर्मप्लाज्म पूल तैयार किया जाए ताकि श्रेष्ठ गाय एवं सांड तैयार किए जा सकें ।

3.3.3 छत्तीसगढ़ के पशुधन एवं कुक्कुट अनुवंश संसाधन का सर्वेक्षण किया जाये तथा भारत शासन के दिशा–निर्देश के आधार पर कृषको की आवश्यकता, बाजार एवं कृषि जलवायु को ध्यान में रखकर कदम उठाये जाएं।

3.3.4 कृत्रिम गर्भाधान के लिए अधोसंरचना को सुदृढ करते हुए विस्तार किया जाए। राज्य के गौ एवं भैस वंश के प्रजनन हेतु हिमीकृत वीर्य तकनीक का प्रयोग कर क्षमता एवं प्रभाव बढाया जाए।

3.3.5 दूरस्थ अंचलों में उच्चकोटि के सांडो द्वारा प्राकृतिक गर्भाधान सुविधा प्रदान की जाए।

3.3.6 नवीन तकनीकों द्वारा गौ एवं भैंस वंश के त्वरित अनुवांशिकी सुधार की योजना बनाई जाए।

3.3.7 नस्ल सुधार कार्यक्रम हेतु शुरूआत में अधिक उत्पादन देने वाली नस्ल को उन क्षेत्रों में बढावा दिया जाए जो चारा एवं पशु चिकित्सा सेवाओं से संपन्न हो। यथाक्रम अन्य क्षेत्रों में भी इस कार्यक्रम का विस्तार किया जाए परंतु इसके लिए आवश्यक आधारभूत सेवाओं का प्रायः विकास सुनिश्चित किया जाए।

3.3.8 चयनात्मक प्रजनन द्वारा नस्ल सुधार करते हुए भेड एवं बकरी अनुवांशिकी संसाधानों का उचित दोहन और संरक्षण किया जाए। उच्चस्तरीय प्रजनन हेतु बकरे के वीर्य का प्रयोग करते हुए बकरी में कृत्रिम गर्भाधान का निष्पादन किया जाए।

3.3.9 उपयुक्त चारे एवं बेहतर प्रबंधन वाले क्षेत्रों में शूकर की स्थानीय नस्ल को विदेशी नस्ल के साथ संकरण को प्रोत्साहन दिया जाए एवं चयनित विशेषताओं वाले देशी शूकर की पहचान करते हुए गहन चयन प्रक्रिया अपनाते हुए स्थानीय प्रजाति का विकास किया जाए। उपयुक्त नस्ल के चयन हेतु प्रायोगिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए।

3.3.10 जिला स्तर पर पशुधन की सभी प्रजातियों के उत्पादन एवं पूर्ति के लिए प्रजनन हेतु अच्छी नस्लों के पशु तथा प्रजनन सुविधाऐं उपलब्ध करवाने के लिए स्वशासी संस्थाओं की स्थापना एवं विस्तार किया जाए।

3.3.11 बछड़ों की मृत्यु दर को कम करने के लिये किसानों को आरंभ में प्रबंधन सहयोग दिया जाये और जब प्रजनन प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करने लगे तब प्रजनन की आवश्यकता एवं सेवाओं की मूल्य–वापसी सुविधा का विकास किया जाए।

3.3.12 प्रजनन आवश्यकताओं अनुसार हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन दिया जाए।

3.3.13 उन्नतिशील कृषकों को भेड, बकरी, शूकर और मुर्गीपालन के प्रजनन के लिए विशिष्ट प्रजनकों के रूप में व्यावसायिकरण के लिए प्रोत्साहन दें।

3.3.14 **''विशिष्ट योजनाओं द्वारा पशुधन पुर्नसंग्रहण''** को बढ़ावा दिया जाये ताकि लघु पशुधारी परिवारों के पास बेहतर प्रजनन व्यवस्था हो और उन्हें संगठित बाजार से जुडी सामूहिक गतिविधियां उपलब्ध हों।

3.3.15 प्रजनन आवश्यकताओं के संरक्षण, रखरखाव एवं वितरण हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता को पारदर्शिता अपनाते हुए प्रोत्साहित किया जाए।

3.3.16 अनुवांशिकी संरक्षण और उन्नत नस्ल कार्यक्रम के बेहतर समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना की जाए ताकि विभिन्न प्रजातियों में संतुलन बना रहे।

3.4 पशु उत्पादों (यथा दूध, अंडा, मांस आदि) की मांग पर आधारित संतुलित विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि पशुपालन क्षेत्र में सुधार हो। इन सुधारों को इस तरह लागू किया जाए ताकि पशुओं की प्रत्येक प्रजाति को उसकी वृद्धि क्षमता और तीव्रता से विकसित होने का समानुपातिक अवसर प्राप्त हो।

पशुपालन विकास के क्षेत्र में देश में ही नहीं छत्तीसगढ राज्य में भी झुकाव गौवंश एवं भैस पालन की ओर है। शासन के प्रांरभिक सहयोग के पश्चात् व्यवसायिक कुक्कुट पालन में निजी क्षेत्रों ने अच्छा विकास किया है। परंतु भविष्य में विकास के लिये इस क्षेत्र में नीति निर्धारण की आवश्यकता है।

इस नीति के आमुख में स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वर्ग के कृषकों द्वारा भेड, बकरी एवं शूकर पालन बहुतायत से किया जाता है एवं यह ग्रामीण आय वृद्धि एवं गरीबी कम करने का सर्वोत्तम विकल्प है। अतः स्थाई खाद्यान्न एवं पोषण सुरक्षा क्षेत्र में नवीन हस्तक्षेप द्वारा बडे पशुओं को महत्तव देने के साथ – साथ लघु पशुओं यथा भेड, बकरी व शूकर, इत्यादि एवं कुक्कुट के पालन को प्राथमिकता दें।

3.4.1 बजट का आवंटन प्रजाति अनुसार, आजीविका पर पडने वाले प्रभाव, प्राप्त करने वाले समुदाय की लक्षित क्षेत्र में रूचि एवं अवसर पर आधारित हो।

3.4.2 शासकीय हस्तक्षेप द्वारा लघु पशुधारियों के विकास को प्रोत्साहन दे।

3.4.3 विभागीय हस्तक्षेप कृषको के कौशल उन्नयन, स्वावलंबन एवं उचित तकनीक पर केंद्रित हो।

3.4.4 निजी क्षेत्र का विकास एवं आधुनिकीकरण इस क्षेत्र की वर्तमान एवं अनुमानित मांग एवं बाजार की स्थिति के अनुसार किया जाए।

3.4.5 एकीकरण एवं समन्वय द्वारा समुचित प्रयास किये जाऐं कि छोटे कृषक व पशुपालक इन सेवाओं, तकनीको व उपलब्ध बाजार का लाभ प्राप्त कर सके।

3.5 पशुधन उत्पादकों की वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच बढाई जाए ताकि वे संस्थागत ऋण एवं बीमा सुविधा प्राप्त करते हुए पशुपालन क्षेत्र में अधिक निवेश कर सकें व आपदाओं का सामना कर सकें।

गरीबों को पशुधन क्रय, बाडा निर्माण, उपकरण क्रय एवं क्रियाशील पूंजी हेतु ऋण की आवश्यकता होती है। कृषि क्षेत्र में दीर्घावधि के कुल ऋणों में पशुपालन व कुक्कुट पालन क्षेत्र की भागीदारी मात्र 5.8 प्रतिशत है।

3.5.1 ऋण संस्थाओं को प्रेरित करें कि वे पशुधन हेतु कर्जा देने में पूर्वाग्रहों से बचें एवं पशुधन ऋण व्यवस्था में जमानत के प्रावधान को समाप्त करें।

3.5.2 ऋण संस्थानों को अपना कार्यक्षेत्र बढाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वें अल्प शुल्क के साथ पिछडे क्षेत्रों तक पहुंच सके जहां पशुधन कृषकों में ऋण की अधिक मांग है।

3.5.3 कृषि क्षेत्र में उपलब्ध फसल उत्पादन हेतु कम अवधि के ऋण व्यवस्था अनुसार ही पशुधन के लिए भी कम अवधि के ऋण व्यवस्था करने हेतु व्यवसायी संस्थानों को उत्प्रेरित किया जाए। इसके लिए संस्थागत मंच पर विभागीय, प्रतिनिधित्व को बढावा दिया जाए।

3.5.4 स्व–सहायता समूह एवं किसान क्रेडिट–कार्ड जैसी योजनाऐं जिनमें ऋण प्राप्ति एवं ऋण वापसी की प्रक्रियाऐं लचीली है एवं पशुपालकों के लिए उपयुक्त हैं, का लाभ पशु पालन में लगे छोटे किसानों को दिलाने हेतु इन योजनाओं का विस्तार किया जाए।

3.5.5 ग्रामीण क्षेत्रों में बैंको के विस्तार हेतु प्रयास हों ताकि कम शुल्क पर छोटे किसानों को संस्थागत् ऋण एवं अन्य सुविधायें प्राप्त हो सकें।

3.5.6 पशु बीमा को प्रोत्साहन दिया जाये ताकि पशुधारी परिवार आकस्मिक आपदाओं एवं रोगों से होने वाले नुकसान से बच सकें।

3.5.7 समुदाय आधारित जोखिम नियंत्रण तंत्र को विकसित किया जाये जिसमें जन समुदाय, निजी क्षेत्र एवं पशुपालको का समावेश हो।

3.6 पशुधन उत्पाद की उत्पादन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए। संस्थागत नीति द्वारा बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए पशु उत्पाद के प्रसंस्करण एवं विपणन को सहकारी एवं निजी क्षेत्र के सहयोग से बढ़ावा दिया जाए।

राज्य में पशुधन तथा पशुधन उत्पादन की विपणन व्यवस्था एवं सूचना प्रणाली अविकसित है जो कि व्यवसायिक पशुधन उत्पादन में बाधक है।

3.6.1 दुग्ध सहकारी समितियों एवं अनुबंध आधारित कृषि तंत्र में उत्पादन से विपणन तक संयोजन को बढ़ावा दिया जाए।

3.6.2 पशुपालन व पशुउत्पादों के उत्पादन पर आधारित सहकारी संस्थाओं का अछूते उत्पाद क्षेत्रों एवं प्रमुख शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार विकास किया जाए कि पशुपालक जीविकोपार्जन से व्यवसायिक उत्पादन की ओर बढ़ सके।

3.6.3 निष्क्रिय सहकारी समितियों को शासन द्वारा वित्तीय सहायता से सक्रिय किया जाए।

3.6.4 सहकारी क्षेत्र में विकेंद्रीकरण व स्वायत्ता को प्रोत्साहन दिया जाए।

3.6.5 ''कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम'' में संशोधन कर भारत सरकार के ''आदर्श विपणन अधिनियम'' के अनुसार लागू किया जाए ताकि कृषि व्यवसाय एवं विपणन संस्थाए कृषि अनुबंध अंतर्गत उत्पादकों से सीधे कच्चा माल क्रय कर सकें।

3.6.6 पशुधन उत्पादकों एवं कुक्कुट उत्पादकों को प्रसंसकरण व उत्पादन हेतु अतिरिक्त सुविधायें जैसे– निश्चित विद्युत आपूर्ति, विक्रय शुल्क में छूट, लेवी, बाजार शुल्क एवं प्रवेश कर में छूट इत्यादि देना सुनिश्चित करें।

3.6.7 पशुधन उत्पादकों को जमीनी स्तर पर ''उत्पादन संघ'' बनाने हेतु प्रोत्साहित करें ताकि वें कृषि व्यवसाय/विपणन संस्था एवं सेवा संस्थाओं के समक्ष मोल–भाव करके लाभ उठा सकें तथा उत्पादन पूर्व एवं उत्पादन पश्चात् के कार्यों के निष्पादन में उनकी क्षमता वृद्धि करें।

3.6.8 भेड़, बकरी इत्यादि पशुओं के लिये स्थानीय बाजार उपलब्ध हों जिनमें शेड, पीने का पानी, सफाई, पशु चिकित्सा, स्वच्छता एवं सुरक्षा आदि की सुविधायें उपलब्ध हों। बाजार

शुल्क द्वारा प्राप्त राजस्व का उपयोग बाजार के लिये सुविधाओं के विस्तार में किया जाए।

3.6.9 बाजार सूचना प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए ताकि पशुधन उत्पादक सूचना प्रसार द्वारा बाजार की मांग, पूर्ति और मूल्यों के उतार–चढ़ाव से परिचित होकर सही समय पर निवेश करें।

3.6.10 पशुधन उद्योग के विकास के लिये अन्य मूलभूत सुविधाऐं जैसे–सड़क, भण्डारण इत्यादि का विकास होना चाहिये।

3.7 पर्यावरण एवं परिस्थिति की स्थिरता को सुनिश्चित किया जाए एवं उपयुक्त नीतियों तथा कार्यक्रमों के द्वारा पशुधन विकास का आधुनिकीकरण हो ताकि पशुधन एवं पर्यावरण के बीच एक गुणात्मक संवाद स्थापित किया जा सके।

3.7.1 पशुधन उत्पादकों को इतना जागरूक बनाया जाए ताकि वे पशुधन से पर्यावरण को होने वाले हानि एवं लाभ का संबंध समझ सकें।

3.7.2 विभिन्न कृषि जनित पारिस्थिकी की पशुधन वाहक क्षमता के आकलन के आधार पर पशुधन उत्पादन का विकास सुनिश्चित करें।

3.7.3 विभिन्न क्षेत्रों में भूमि की उर्वरा शक्ति का आंकलन करते हुए जैविक खाद (गोबर), जैव उर्वरक, वर्मी कम्पोस्ट जैसे पर्यावरण मित्र पोषक पदार्थों के भूमि पर उपयोग को बढ़ावा दें ।

3.7.4 कम लागत के पशु से चलने वाले उपकरण एवं यंत्र उत्पादन को बढ़ावा दें ताकि पशुओं की भारवाहक क्षमता का कृषि में इस्तेमाल बढे।

3.7.5 समुदाय आधारित संस्था एवं कृषको द्वारा विकसित जैविक खेती हेतु प्रोद्योगिकी पैकेज को बढावा दिया जाए।

3.7.6 पशु वर्ज्य पदार्थों के नगरीय एवं उपनगरीय क्षेत्रों में सही रूप से व्यवस्थापन हेतु प्रभावी नियम बनाए जाए।

3.8 अविकसित क्षेत्रों में वंचित वर्ग, निर्धन एवं महिलाओं में गरीबी उन्मूलन हेतु पशुधन उत्पाद सहयोग–अनुपात को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें।

निर्धन कृषकों में उपयुक्त मार्गदर्शन, ज्ञान एवं सहयोग से अपनी आजीविकाओं में आवश्यक परिवर्तन लाने हेतु क्षमता एवं शक्ति का सृजन किया जा सकता है। लघु पशु उत्पादकों को व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में उतरना होगा एवं भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। इस परिस्थिति में केवल उत्पादन को प्राथमिकता ना देते हुए, एक उपयुक्त उत्पादन प्रणाली विकसित की जाए जो पूरे क्षेत्र की आजीविका को स्थायित्व प्रदान कर सके।

3.8.1 पशु उत्पादन के साधन एवं दक्ष आजीविका प्रणाली विकसित की जाये जो स्थानीय परिस्थितियों एवं गरीबों की संसाधन प्रदत्ता पर आधारित हो।

3.8.2 गरीब उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिये उनकी तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी दक्षता को कौशल एवं ज्ञान द्वारा ठीक बडे व्यापारिक उत्पादकों की तरह विकसित किया जाए, ताकि अन्ततः उनकी उत्पाद क्षमता को बढ़ाकर गरीबी दूर की जा सके।

3.8.3 वंचित वर्गों एवं गरीबों के लिये विशेष ऋण सुविधा एवं बीमा योजना बनायी जाए।

3.8.4 सीमांत वर्गो (छोटे, लघु एवं सीमांत) को इस प्रकार प्रोत्साहित किया जाए, कि वे उत्पादक संघ गठित कर संगठित रहें।

3.8.5 सीमांत पशुपालक कृषकों को 'उत्पादक संघ' जैसी संस्थाओं के निर्माण हेतु सतत् प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे अर्थव्यवस्था का लाभ उठा सकें। साथ ही उनकी मोल–भाव करने की क्षमता बढे।

3.8.6 ऐसा सुनिश्चित किया जाए कि कृषि व्यवसाय में संलग्न संस्थायें (कृषि–अनुबंध संस्थाऐं) कच्चा माल खरीदी में छोटे उत्पादकों को नजरअंदाज न करें।

3.8.7 पशुधन उत्पादन एवं विपणन में, विशेषकर दुग्ध उत्पादन इकाईयों में महिलाओं की भागीदारी को निरंतर प्रोत्साहित किया जाऐं।

3.8.8 पशुधन उत्पादकों के लिये विकेन्द्रिकृत विस्तार एवं प्रशिक्षण इकाईयां तैयार कर जागरूकता बढ़ाने एवं तकनीकी हस्तांतरण द्वारा पशु उत्पाद बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाऐ।

3.8.9 राज्य में पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण विस्तार संस्थान बनाए जाऐं जो ''सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षण संस्था'' एवं विश्वविद्यालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए पशुपालन विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षित करें।

3.8.10 शोध, विस्तार एवं कृषकों के बीच समन्वय मजबूत हो।

3.8.11 गरीबी उन्मूलन हेतु निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है :–

3.8.11.1 निर्धनों द्वारा भेड़, बकरी, देशी शूकर, कुक्कुट एवं अन्य घरेलु पशुओं को पाला जाता है। अतः रोग प्रतिरोधी स्थानीय जातियों के पालन को बढ़ावा देना चाहिये।

– अनुवांशिकीय सुधार के लिए सरल प्रजनन तरीके अपनाए जाऐं।

– वह रोग जो घरेलु जानवरों को अधिक प्रभावित करते हैं जैसे–स्वाइन फीवर, सी.सी.पी.पी., रानीखेत रोग, कुक्कुट पालन में फॉउल पॉक्स एवं आंतरिक परजीवी रोग, से बचाव के उपाय किए जाऐं।

– अंतः–परजीवियों से बचाव के लिये कम मूल्य के कृमि–नाशकों का प्रयोग किया जाए।

– दूरस्थ एवं दुर्गम स्थानों में प्राकृतिक गर्भाधान जैसे उपयुक्त प्रजनन तरीकों का प्रयोग किया जाए।

3.8.11.2 उन कृषि–पारिस्थिकी क्षेत्रों में, जहां निर्धन रहते हैं, पशु आधारित पोषण चक्र (कृषि–वानिकी, फसल चक्र, खाद–प्रबंधन) विकास के लिए अधिक शोध कार्य की आवश्यकता है ।

– गोचर भूमि (सामुदायिक संसाधन) प्रबंधन आवश्यक है।

– पशु चारे की उन किस्मों को विकसित किया जाए जिनमें प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक हो।

– द्वि–उद्देशीय फसलों का विकास एवं उपयोग (चारा व अन्न) किया जाए।

– पड़त भूमि में पशुधन हेतु बहुउपयोगी पौधों का रोपण किया जाए, जिनसे भोजन, चारा, जलाऊ एवं इमारती लकड़ी, हरी खाद प्राप्त हो सके।

3.8.11.3 निर्धन के वितरण एवं विपणन प्रणाली के अनुकूल उत्पाद एवं प्रक्रिया का सरल प्रौद्योगिकी के साथ एकीकरण करते हुए सूखे मांस, दूध के घरेलू प्रसंस्करण द्वारा दही, छैना, मक्खन एवं देशी घी जैसे उत्पादों की भंडारण की समयावधि बढाई जाए।

3.8.11.4 कम लागत वाली कृषि इकाईयों को जोड़कर एकीकृत कृषि प्रणाली विकसित कर अधिक लाभ लिया जाए, इसके अंतर्गतः–

– चारे की अच्छी किस्मों का विकास किया जाए।

– अधिक जैव पदार्थो के उत्पादन द्वारा ऊर्जा का चक्रीकरण किया जाए।

– उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये पोषक पदार्थों की क्षति को रोका जाए।

पशुधन उत्पादन के क्षेत्र में, विशेषकर बडे शहरों से लगे क्षेत्रों में तीव्रता से बदलता हुआ परिवेश परिलक्षित होता है, जहां लघु पशुपालक बहुप्रजाति पशुपालन को त्यागकर अधिक मांग वाली एक ही पशुप्रजाति का पालन कर रहें हैं। संपूर्ण प्रक्रिया मांग आधारित व पूर्णतया व्यवसायिक दृष्टिकोण से अभिप्रेरित है।

3.9 सूचना तंत्र, कौशल उन्नयन, प्रबंधन एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा पशुधारकों एवं स्थानीय निकायों का क्षमता वर्धन करके चारा एवं अन्य पोषक तत्वों के संसाधनों को बढ़ाया जाए।

3.9.1 उपलब्ध शासकीय भूमि को लीज. अधिकार पर भूमिहीन कृषको/पशुपालक समितियों एवं समूहों को पशुपालन गतिविधियों हेतु उपलब्ध कराना।

3.9.2 बहुउपयोगी खेती को प्रेरित किया जाये तथा दो फसलों के बीच में भी लघु अवधि फसल ली जाए। धान की मेढ़ों पर चारा उत्पादन किया जाए तथा बहुउपयोगी व चारा प्रदान करने वाले वृक्ष लगाये जावें।

3.9.3 यूरिया–उपचार जैसी वैज्ञानिक तकनीक एवं कुट्टी–यंत्र के उपयोग द्वारा बहुतायत में उपलब्ध धान के चारे को उपचारित कर उपयोग किया जाए।

3.9.4 पंचायती राज संस्थाओं एवं स्वशासी संस्थाओं तथा उपयोगकर्त्ता दलों के सहयोग से भूमि अतिक्रमण को रोका जाए तथा चारागाहों का विकास किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर इन संस्थाओं को वित्तीय, तकनीकी एवं वैधानिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए।

3.9.5 **''सामुदायिक चारा बैंक''** को प्रोत्साहित करके ग्रीष्मकाल में चारा उपलब्ध करवाया जाए।

3.9.6 वनों से चारा कटाई के लिए ग्रामीणों की पहुंच सुनिश्चित की जाए एवं वन क्षेत्र में चराई पर रोक के मार्गदर्शन स्पष्ट किए जाऐं।

3.9.7 निजी एवं सहकारी क्षेत्रों को संतुलित एवं मिश्रित पशु व कुक्कुट आहार उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

3.9.8 अच्छी किस्म की संकर मक्का, सोयाबीन एवं तिलहन फसलों के उत्पादन में सहयोग द्वारा वृद्धि का प्रयास किया जाए ताकि इनके उपयोग द्वारा निर्मित मिश्रित पशु आहार सामग्री बाज़ार में विक्रय के लिए उपलब्ध हो।

3.9.9 पशुधन एवं कुक्कुट उत्पादन बढ़ाने के लिये सूक्ष्म पोषक तत्वों के संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया जाए।

3.10 पशुधन उत्पादकों में नवीन विकास के ज्ञान व शोध तक पहुंच को बेहतर करने हेतु पशुधन पर गहन शोध करनी होगी और उसका विस्तार प्रणाली के साथ समन्वय करना होगा।

निरंतर नई तकनीको का अविष्कार एवं हर स्तर पर उनका प्रचार प्रसार पशुधन उत्पादकता के विकास एवं स्थायित्व के लिए महत्तवपूर्ण है। राज्य में वृक्ष एवं पशुधन में जैव विविधता के कारण पशुधन विकास में उसके शोध द्वारा उपयोग के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं।

3.10.1 वर्तमान में पशु विज्ञान में शोध कार्य हेतु वित्तीय सहायता कम है जिसे बढ़ाया जाना चाहिए एवं इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के पारंपरिक जर्म प्लास्म को सूचीबद्ध किया जाए।

3.10.2 पशुओं की जातियां, क्षेत्र एवं कार्यक्रमों के अनुरूप शोध कार्यों की प्राथमिकतायें तय करनी चाहिऐं ताकि इन कार्यक्रमों की शोध दक्षता में वृद्धि हो।

3.10.3 आवश्यकता आधारित शोध कार्य किये जाने चाहिए जिसमें पशु उत्पादक (उत्पादकता वृद्धि एवं मूल्य प्रभाव), उपभोक्ता (अभिरूचि एवं प्राथमिकता) एवं उद्योग की आवश्यकताओं (भंडारण की समयावधि एवं प्रसंस्करण लक्षण) को ध्यान में रखा जाए।

3.10.4 संपूर्ण उत्पादन प्रणाली में स्वदेशी एवं आधुनिक तकनीक को मिलाकर पशुधन उत्पादन को बढ़ाया जाए।

3.10.5 अल्प लागत वाले लघु पशुधन उत्पादकों के लिये आधुनिक एवं उत्तम पशुपालन पद्धति को उनकी आवश्यकता अनुरूप विकसित एवं प्रसारित किया जाए।

3.10.6 स्थानीय तौर पर प्राप्य समस्त पशु खाद्य–संसाधनों को सूचीबद्ध कर कम लागत वाले पशु आहार की संरचना की जाए।

3.10.7 कुक्कुट, शूकर, भेड, बकरी की विषाणुजनित बीमारियों हेतु स्थिरतापी रोग प्रतिरोधक टीके विकसित किए जाए जिनका उपयोग मुंह अथवा नाक द्वारा किया जा सके। इससे टीकों को कोल्ड चेन (बर्फ के तापमान पर सुरक्षित रखना) में रखने की दुरूह प्रक्रिया से बचा जा सकेगा साथ ही दुर्गम व भीतरी क्षेत्रों में स्थित ग्रामों में भी टीकाकरण संभव हो सकेगा।

3.10.8 कम मूल्य वाली कृमि–नाशक एवं बहु रोग (पॉलीवेलेन्ट) टीकों का विकास होना चाहिये।

3.10.9 राज्य में एवं अंर्तराज्यीय स्तर पर विभिन्न शोध संस्थानों का आपसी समन्वय स्थापित होना चाहिये एवं कई बहुआयामी शोध कार्यों को बढ़ावा मिलना चाहिये।

3.10.10 क्रियान्वयन योग्य नई तकनीको को सार्वजनिक विस्तार प्रणाली एवं स्वयं सेवी संस्थाओं और जन संचार के माध्यम से उपयोगकर्त्ता तक पहुंचाकर प्रचार प्रसार प्रक्रिया को सुदृढ किया जाए।

3.10.11 आधुनिक प्रौद्योगिकी पैकेज और पशुपालन की उचित पद्धतियों के प्रचार प्रसार हेतु जिला स्तर पर पशु विज्ञान केंद्र (कृषि विज्ञान केंद्र के समानांतर) स्थापित किये जायें एवं इन्हें आत्मा (ए.टी.एम.ए.) जैसे अन्य कार्यक्रमों से जोडा जाए।

3.10.12 पशुधन विस्तार सेवाओं के प्रभावी निष्पादन हेतु सहायक कर्मचारियों को पशुधन उपयोगकर्त्ता समूहों से सीधे समन्वित किया जाए।

3.10.13 विभिन्न कृषि परिस्थितिकीय में उत्पादन की परिस्थितियों एवं कृषि प्रणाली की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, पणधारियों की आवश्यकतानुसार तकनीकों का प्रचार प्रसार उपर से नीचे न होकर नीचे से उपर की ओर किया जाए।

3.10.14 प्रचार प्रसार के नवीन आदर्श के रूप में दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था एवं ''कृषक कार्यक्षेत्र पाठशालाऐं'' विकसित की जाऐं। जिनमें समस्त पणधारी, जैसे कि–शोध संस्थान, विस्तार विभाग, स्वयं सेवी संस्थाऐं, आवश्यकता पूर्ति व्यापारी, सेवा प्रदत्त करने वाले और पशुधन उत्पादक, शामिल हों।

3.11 पशुधन उत्पादन के विकास की क्षमता में वृद्धि करने हेतु पशुपालन क्षेत्र की संगठनात्मक एवं संस्थागत इकाई को पुनर्गठित और पुनर्जीवित करने तथा पशुपालन क्षेत्र के विकास में गति लाने के लिए नवीन संस्थागत प्रतिरूपों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

कालांतर में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा बड़े पशुओं का अनुवांशिकी सुधार हुआ है जिससे आजीविका एवं व्यवसायिक उत्पादन में पशुपालन अधिक प्रचलित हुआ है, विभाग द्वारा इस परिवर्तित स्थिति अनुसार सेवा निष्पादन में वैकल्पिक रणनीति का उपयोग किया गया है। परंतु विभिन्न अध्ययनों में कृषकों के लिए घर पहुंच सेवा के प्रभावी होने में गतिहीनता एक अहम अवरोधक पाई गई है।

3.11.1 पशु पालन विभाग के कर्मचारियों को बेहतर प्रबंधन एवं क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिये, जिसमें दस्तावेजीकरण, योजना, निरीक्षण, मूल्यांकन, आदि विषय अनिवार्य रूप से होने चाहियें।

3.11.2 कर्मचारियों में तकनीकी ज्ञान के अतिरिक्त प्रक्रिया एवं संगठन कौशल द्वारा सेवाओं को प्रभावी किया जाए। एक प्रभावी निष्पादन तंत्र के लिए सहभागी प्रक्रियाओं का ज्ञान, उपलब्ध समुदाय आधारित संस्थान, अन्य क्षेत्रीय योजनाएं एवं कार्यक्रम, सामुदायिक संगठन कौशल इत्यादि आवश्यक हैं।

3.11.3 राज्य में पशुधन की स्थिति में सुधार के लिए सहयोग के नये अवसरों के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण हो। महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर (कर्मचारी कार्यकुशलता एवं कृषक विकास) भारत सरकार, निजी क्षेत्रों, शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं समानान्तर संस्थाओं के साथ संपर्क स्थापित होना चाहिये।

3.11.4 पशुधन विकास में मुख्य संपर्क–कर्त्ता के रूप में कार्यशील होकर व्यवसायिक एवं निजी क्षेत्र के विकास को नियंत्रित करें। चारा–बीज बाजार, मांस एवं अंडा बाजार, खली, पशुखाद्य उत्पादक और औषधीय व्यवसाय के साथ नियमित संपर्क स्थापित करें।

<u>संस्थागत स्तर पर</u>:

राज्य में पशुधन मुख्य रूप से लघुधारी किसानों के हाथों में है। तथापि कुछ वर्षों से नवीन उद्यमियों (संगठित कृषक) ने इस क्षेत्र में कदम रखा है, जो पशुपालन क्षेत्र के उच्च तकनीकी सिद्धांतों को अपनाते हैं। अतः उन्हें नई तकनीकों तक बेहतर पहुंच और सेवाओं में गुणवत्ता की आवश्यकता है। इस नीति के माध्यम से एक स्वरूप दिया गया है जहां इन दोनों पहुलओं को सहयोग दिया जा सके ताकि गरीब किसानों की आजीविका सुरक्षित एवं विकसित हो तथा राज्य का आर्थिक विकास हो।

3.11.5 अन्य महत्तवपूर्ण विभाग जैसे पंचायती राज, आदिवासी कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, वन एवं कृषि विभाग तक पशुपालन नीति के उद्देश्यों को पहुंचाने हेतु सहयोगी प्रशासनिक ढांचा स्थापित करते हुए क्रियाशील संबंधों की स्थापना की जाए। विशेषतः इन मुद्दों पर समन्वय किया जाए।

- **कृषि**: चारा बीज का उत्पादन, गुणन और वितरण। द्विउद्देशीय फसलों पर शोध एवं क्रियान्वयन।
- **वन विभाग**: संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम में पशुपालन का एकीकरण।
- **ग्रामीण विकास विभाग**: गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कृषकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विशेष संदर्भ में लघु कृषि प्रणाली में पशुधन के समावेश द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए योजनाबद्ध एवं हितग्राही मूलक कार्यक्रम आरंभ किए जाऐं। पशुपालन विभाग के तकनीकी सहयोग द्वारा विशिष्ट योजनाएं एवं इनपुट पैकेज (Input Package) का विकास किया जाए।
- **आदिवासी कल्याण विभाग**: आदिवासियों की जीविका में अहम भूमिका निभाने वाले पशुओं को ध्यान में रखते हुए पशुधन विकास योजना को आदिवासी कल्याण योजना के साथ सम्मिलित करते हुए विकसित किया जाए।
- **पंचायती राज**: जमीनी स्तर पर गोचर भूमि एवं कृषि वानिकी का विकास करते हुए छोटे–छोटे कार्य किए जाऐं।
- **जलग्रहण**: जलग्रहण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि इसका लाभ सूखा प्रभावित पशुधन को प्राप्त हो सके। चारा उत्पादन, वाटरशेड मिशन का एक प्रमुख कार्य होना चाहिये। पशु पालन विभाग एवं वाटरशेड मिशन में प्रभावी समन्वय स्थापित होना चाहिये।
- **राज्य कृषि विश्वविद्यालय**: विस्तार सेवाऐं और शोध को बढावा देने हेतु उपलब्ध प्रोद्यौगिकी और ज्ञान संसाधन का लाभ उठाया जाए।

3.11.6 राज्य की लोक सेवा को विकेन्द्रित कर गैर–सरकारी संगठनों एवं निजी क्षेत्रों की सहायता से सुदृढ़ किया जाए।

3.11.7 पशुधन विकास के लिए लघु कृषकों की आवश्यकताओं विशेषतः घरेलू कुक्कुट पालन करने वालों (भेड, बकरी सब सेक्टर) के लिए क्रियाशील संस्थागत रूपरेखा का विकास किया जाए।

3.11.8 दुग्ध क्षेत्र के मुख्य पणधारियों (जैसे–पशुपालन विभाग, छत्तीसगढ राज्य पशुधन विकास अभिकरण, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड, रायपुर दुग्ध संघ, और गौसेवा आयोग) की संयुक्त नियोजन एवं समीक्षा समिति का गठन किया जाए ताकि दुग्ध क्षेत्र के एकीकृत विकास हेतु एक औपचारिक मंच मिल सके।

3.11.9 छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण (सी.एस.एल.डी.ए.) के अतंर्गत पशु प्रजनन, कृत्रिम गर्भाधान इत्यादि कार्यक्रम संचालित हों। इसके लिये अभिकरण को व्यवसायिक योजना निर्माण में सुदृढ किया जाए ताकि हानि–लाभ के आधार पर कार्य किया जा सके।

3.11.10 दुग्ध विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जाये जिसके लिये रायपुर दुग्ध संघ, सहकारी समितियां, अन्य दुग्ध उत्पादक संघों को एकत्रित किया जाए और उत्पादक स्वामित्व व्यवसायिक इकाई के रूप में स्थापित किया जाए ।

3.11.11 पशु चिकित्सा महाविद्यालय अंजोरा (दुर्ग) एवं डेयरी तकनीकी महाविद्यालय, रायपुर को तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिये एक क्रियाशील इकाई के रूप में सम्बद्ध किया जाए। भेड, बकरी, शूकर इत्यादि के लिए बस्तर एकीकृत पशुधन विकास कार्यक्रम (बी. आई.एल.डी.पी.) को ज्ञान और तकनीकी सहयोग केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। इन केंद्रों को अधिक स्वायत्ता दी जाए एवं राज्य में अन्य ऐसे केन्द्र विकसित किए जाऐं।

3.11.12 पशु संसाधन विकास के लिए जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाए और पशुपालन विभाग के जिला प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रम के साथ अभिसरण एवं सम्मिलित प्रयास द्वारा क्रियाशील समन्वय किया जाए।

3.11.13 प्रसव/प्रजनन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं को जिले में सम्मिलित करने हेतु पशुधन संसाधन विकास के लिए जिला स्तर समिति का गठन किया जाए ताकि विकास और उपयोगकर्त्ता शुल्क राशि का अनुश्रवण किया जा सके।

3.11.14 गौ–सेवा आयोग के अंतर्गत गौशालाओं की क्षमताओं का विकास किया जाए–

- गौवंश सुधार शोध और बेहतर पालन पद्धतियों के प्रचार हेतु केंद्र के रूप में क्रियान्वित हो
- निराश्रित पशुओं को आश्रय
- दुग्ध उत्पादन केंद्र के रूप में
- गौमूत्र आधारित कीटनाशक और जैविक खाद (प्राकृतिक खाद और केंचुंआ खाद) के उत्पादन को बढावा देने हेतु।
- वैकल्पिक ऊर्जा के प्रारूप के रूप में गोबर गैस प्लांट को बढावा देने हेतु।

3.11.15 शासन को निम्नांकित बिन्दुओं पर भी ध्यान केन्द्रित करना चाहियेः–

- वर्तमान में उपस्थित पदों में कमी न करते हुए पशुपालन विभाग को पुर्नगठित किया जाए।
- निश्चित समयावधि में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाऐं ताकि कर्मचारियों द्वारा सेवा निष्पादन में सुधार हो।
- पशुपालन विभाग की मूल क्षमताओं को विकसित करने हेतु विभाग को प्रगतिशीलता के साथ सशक्त करते हुए सेवाओं (कृत्रिम गर्भाधान एवं पशुचिकित्सा सेवाएं) के निष्पादन को विकेंद्रित करें।
- संस्थागत संरचना, प्रशिक्षण का विकेन्द्रीकरण और विस्तार सेवाएं विकासखण्ड/ग्राम स्तर पर सुनिश्चित की जाऐं।
- प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.), प्रतिवेदन प्रणाली, दस्तावेजीकरण और सार्वजनिक संपर्क प्रणाली आदि जैसी गतिविधियों को आधुनिकीकृत/कम्प्यूट्रीकृत किया जाए।

- कृषि अनुबंध प्रणाली को विकसित किया जाये तथा इसके लिए राज्य नीति निर्धारण करे।
- पशुधन क्षेत्र में उचित नीतिगत सहयोग के साथ निजी उद्यमियों को बढावा दिया जाए।
- सार्वजनिक और निजी पशुपालन चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाए।
- कार्यों के विकेन्द्रीकरण द्वारा प्रजनन सेवाओं के दीर्घ अवधि तक लाभ सुनिश्चित किए जाए।

पशुधन प्रजनन नीति

उद्देश्य :

1. स्थानीय नस्ल का अनुवांशिकी विकास सलेक्टिव ब्रिडिंग, अपग्रेडिंग एवं क्रास ब्रिडिंग के माध्यम से कर राज्य में दुधारू एवं भारवाहक पशुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. प्राकृतिक गर्भाधान एवं कृत्रिम गर्भाधान हेतु पर्याप्त उन्नत नस्ल के सॉड़ एवं बछड़े की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3. प्रदेष में अंडा एवं मांस के पर्याप्त उत्पादन हेतु स्थानीय पषु पक्षियों (कुक्कुट, भेड़, बकरी, सूकर, खरगोष) का अनुवांशिकी विकास सुनिष्चित करना।
4. पशु प्रजनन अधोसंरचना का विकास एवं सुदृढ़ीकरण जिससे आधुनिकतम प्रजनन तकनीकी का उपयोग करते हुए उच्चतम गुणवत्ता वाले जर्म प्लाज्म का व्यापक प्रसार हो।
5. महत्वपूर्ण भारतीय नस्ल के पशुधन को संरक्षण तथा व्यापक रूप से इन नस्लों का पशु प्रजनक संघ एवं गौशालाओं में विस्तार।
6. निकृष्ट नर पषुओं का बधियाकरण कर प्रजनन हेतु उच्च अनुवांशिकी के नर पषुओं का क्रमबद्ध तरीके से प्रतिस्थापन।

पशु प्रजनन नीति :

राज्य में विद्यमान पशुधन जैसे गोवंश, भैसवंश, भेड़, बकरी, सूकर तथा कुक्कुट का विकास पशु प्रजनन नीति के माध्यम से प्रस्तावित है।

अपग्रेडिंग से राज्य के स्थानीय गोवंश का विकास साहीवाल, गीर, रेडसिन्धी, थारपारकर, कान्करेज, ओंगोल नस्ल से तथा भैस–वंश का विकास मुर्रा एवं सुरती नस्ल से किया जावे।

शहरी एवं अर्धशहरी क्षेत्रों मे जहॉ पर दूध का अच्छा मूल्य पशुपालकों को मिले एवं सिंचाई का पर्याप्त साधन हो वहॉ पर क्रास ब्रिडिंग से देशी पशुओं का अनुवांशिकी विकास किया जावे।

क्रास–ब्रिडिंग हेतु विदेशी नस्ल का अधिकतम अनुवांशिकी स्तर 50 – 62.5 % निर्धारित किया जाना परिस्थितिक जलवायु के आधार पर प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से क्रास–ब्रिडिंग हेतु जर्सी एवं होलिस्टिन नस्ल का चयन किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य मे विद्यमान निकृष्ट नर पषुओं का व्यापक रूप से बधियाकरण कर उन्नत नस्ल के नर पषुओं का क्रमबद्ध वितरण किया जाना प्रस्तावित है ताकि क्षेत्र में बहुत ही कम उत्पादकता वाले नर पषुओं से होने वाले अवांछनीय प्रजनन को रोका जा सकें।

उच्च अनुवांषिकी धारित नस्ल के नर पषुओं का संरक्षण एवं व्यापक प्रसार पषुपालन विभाग की अनुमति से किया जाना प्रस्तावित है। प्राकृतिक गर्भाधान हेतु नर पषुओं का चयन जो कि एक न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड रखता हो पषुपालन विभाग की सहमति से किया जाना प्रस्तावित है।

नस्लवार एवं जिलावार प्रस्तावित प्रजनन नीति

क्र0	क्षेत्र	जिला	अनुमोदित प्रजनन नीति
1	ग्रामीण क्षेत्र में	सभी जिलों में	**अपग्रेडिंग** : 1– भारतीय दुधारू नस्ल – साहीवाल/गिर/रेडसिन्धी द्वारा 2– भारतीय द्विकाजी नस्ल – थारपारकर/ओंगोल/कॉकरेज/हरियाणा द्वारा
2	अर्ध शहरी क्षेत्र	सभी जिलों मे	**क्रास–ब्रिडिंग** : जर्सी 50 %/ होलेस्टिन 50 % नस्ल द्वारा (हॉफ ब्रेड) **अपग्रेडिंग** : भारतीय दूधारू नस्ल जैसे साहीवाल/ गीर/ रेडसिन्धी द्वारा
3	शहरी क्षेत्र में	सभी जिलों मे	**क्रास ब्रीडिंग** : जर्सी एवं होलेस्टिन नस्ल द्वारा तथा एफ 2 जनरेषन में क्रिस क्रासिंग एवं रोटेषनल क्रासिंग **आऊट क्रासिंग** : भारतीय दूधारू नस्ल में जैसे साहीवाल/गीर/रेडसिन्धी **अपग्रेडिंग** : भारतीय दूधारू नस्ल जैसे साहीवाल/ गीर/ रेडसिन्धी द्वारा

भैस वंश : सुनियोजित फार्म में प्रजनन हेतु मुर्रा नस्ल का चयन प्रस्तावित है। स्थानीय भैंसो का उन्नयन मुर्रा या सुरती नस्ल से किया जावे।

बकरी : जमुनापारी/बारबरी/ब्लैक बेंगाल/सिरोही नस्ल से स्थानीय बकरी का अपग्रेडेशन प्रस्तावित है।

भेड़ : स्थानीय भेड़ का अपग्रेडेशन रेम्ब्यूलेट से एवं पहाड़ी क्षेत्रों मे पसमीना नस्ल से।

सूकर : स्थानीय सूकर का अपग्रेडेशन मिडिल व्हाईट यार्कशायर/रशियन चरमुखा/कृष्णाशायर नस्ल से।

कुक्कुट :

1. असील नस्ल चूंकि जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर की स्थानीय नस्ल है। अतः इन जिलों में इसका व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार हो। इसके अलावा जापानीस क्वेल, टर्की, गिनी फाउल का भी प्रसार प्रस्तावित है।
2. शेष जिलों मे अण्डा उत्पादन हेतु व्हाइट लेग हार्न तथा द्विकाजी (अंडा एवं मांस उत्पादन) उपयोग हेतु व्हाइट लेग हार्न, आर0 आई0 आर0 एवं अष्ट्रालार्प के क्रास का उपयोग प्रस्तावित है।
3. बनराज, गिरिराज नस्ल एवं जापानीस क्वेल, टर्की, गिनी फाउल का भी व्यापक रूप से प्रसार प्रस्तावित है।

बतख : स्थानीय बत्तख का खाकी केम्पवेल नस्ल से अपग्रेडेशन प्रस्तावित है।

खरगोश : चिन्चीला/अंगोरा/ग्रे–जाईण्ट नस्ल से अपग्रेडेशन प्रस्तावित है।

प्रजनन योग्य सॉड़ का चयन :

पशुधन विकास योजना हेतु प्रोजनी टेस्टेड सॉड़ का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, परन्तु जब तक पर्याप्त संख्या में यह सॉड उपलब्ध न हो तब तक ऐसे सॉड़ उपयोग मे लाया जाय जिसकी अनुवांषिकी क्षमता अधिक हो ऐसे सॉड़ो का चयन उनकी मॉ के दूग्ध उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि हो सके तो फुल सिब एवं हाफ़ सिब की उत्पादन क्षमता को भी सॉड़ चयन के समय ध्यान में रखे।

विभिन्न नस्ल के सांड़ जिनकी मॉ का न्यूनतम उत्पादन क्षमता निम्नानुसार हो का इस्तेमाल प्राकृतिक गर्भाधान एवं कृत्रिम गर्भाधान हेतु किया जाना चाहिए।

दुधारू नस्ल

क्रमांक	नस्ल	मॉ का न्यूनतम उत्पादन क्षमता (लिटर/ 305 दिन में)		
		प्राकृतिक गर्भाधान हेतु (किग्रा. में)	कृत्रिम गर्भाधान हेतु (किग्रा. में)	
			प्रथम ब्यात में	सर्वोत्तम उत्पादन
1	गिर	1400	2400	3000
2	साहीवाल	1600	2400	3000
3	रेड सिन्धी	1300	2000	2500
4	जर्सी	3500	3000	3750
5	होलस्टीन	3500	4500	5600
6	मुर्रा	1500	2400	3000
7	सुरती	1300	1600	2000

द्विकाजी नस्ल

क्रमांक	नस्ल	मॉ का न्यूनतम उत्पादन क्षमता (270 दिन में)		
		प्राकृतिक गर्भाधान हेतु (किग्रा. में)	कृत्रिम गर्भाधान हेतु (किग्रा. में)	
			प्रथम ब्यात में	सर्वोत्तम उत्पादन
1	कांकरेज	1300	2000	2500
2	ओंगोल	1000	1100	1600
3	थारपारकर	1300	2000	2500

सॉड़ का चयन करते वक्त यौन जनित रोगों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। यौन रोगो से मुक्त सांड़ पशु प्रजनन कार्य हेतु उपयोग में लाया जावें। भारत सरकार, पषुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जारी न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड (एम.एस.पी.) का पालन अनिवार्यतः किया जावें।

हिमीकृत वीर्य :

उच्च गुणवत्ता के हिमीकृत वीर्य का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन राज्य में हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रदेष की प्रजनन नीति के अनुरुप हिमीकृत वीर्य संस्थान में हिमीकृत वीर्य का उत्पादन तथा संस्थान सुदृढ़ीकरण सुनिष्चित किया जावे। राज्य में पशु प्रजनन के कार्यो मे जो भी एजेन्सी संलग्न है, उसके लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि वे हिमीकृत वीर्य की प्राप्ति प्रदेष के फ्रोजन सीमेन बुल स्टेशन (FSBS) से सुनिश्चित करें। यदि हिमीकृत वीर्य का क्रय बाहर से करने की स्थिति निर्मित होती है तो यह आवश्यक हो कि क्रय की पूर्व अनुमति संचालक पशुपालन विभाग (DAH) से प्राप्त किया जावें। अनुमति के पूर्व संचालक यह सुनिष्चित करेंगे कि क्रय किया जाने वाला वीर्य यौन जनित रोग मुक्त एवं उच्च अनुवांषिक क्षमता के सांड़ों का है तथा प्रतिष्ठित संस्थान से उत्पादित है।

अंतः–प्रजनन को रोकने एवं प्रोजनी टेस्टिंग का कार्य सुचारू रूप से संचालन हेतु तीन पारिस्थितिक जलवायु क्षेत्रवार सांड़ों का तीन समूह बनाया जाय एवं चक्रानुक्रम आधार पर वीर्य का वितरण सुनिष्चित किया जावें।